SPEED POST

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan,
Khan market, New Delhi-110 003.

No. B-3/ATOMIC ENERGY-1/2006/RU-III Dated: 10.10.2012

To

The Secretary
Deptt of Atomic Energy
Anushakti Bhawan,
CSM, Marg
Mumbai – 400001

Sub: Representation of Shri N.L. Meena, Scientific Assitant 'D' Deptt of Atomic Energy, Heavy Water Plant, Rawatbhata Kota regarding, reservation and relaxation in promotion for Scientific Assistant to Scientific Officer grade on the basis of additional qualification AMIE-regarding

Sir,

I am directed to refer to the Sitting held on 14.08.2012 in the Commission on the subject mentioned above and to enclose a copy of the proceeding of the Sitting for necessary action.

2. It is requested that action taken report may please be sent to the Commission at an early date.

4586-87
10/10/12
जारी किया
ISSUED

Yours faithfully,

(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy for information to:-

Shri N.L. Meena, Scientific Assistant 'D' Deptt. of Atomic Energy, Heavy Water Plant, Rawatbhata, Kota

(N. Balasubramanian)
Research Officer

Copy to:-
I. SSA (NIC)

o/c

सं0 आर –10 / एटोमिकएनर्जी / 1 / 2006 / एसटी / एसएसडब्ल्यू / आर.यू.-III

परमाणु ऊर्जा विभाग में एएमआईई अतिरिक्त योग्यता आधार पर वैज्ञानिक सहायक से वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड पर पदोन्नति के लिए रियायत एवं आरक्षण के संबंध में श्री एन. एल. मीणा वैज्ञानिक सहायक (डी), हेवी वाटर प्लांट, परमाणु ऊर्जा विभाग, रावतभाटा, कोटा (राजस्थान) के मामले पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा के समक्ष दिनांक 14.08.2012 को हुई बैठक / सुनवाई की कार्यवाही / कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1.	श्री भैरू लाल मीणा	सदस्य
2.	श्री के.डी. बन्सौर	उप निदेशक
3.	श्री एन. बालासुब्रमणियन	अनुसंधान अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

1.	श्री. ए.पी. जोशी	विशेष सचिव
2.	श्री के.ए.पी. सिन्हा	संयुक्त सचिव

प्रार्थी

1. श्री एन.एल. मीणा

विषयः परमाणु ऊर्जा विभाग में एएमआईई अतिरिक्त योग्यता आधार पर वैज्ञानिक सहायक से वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड पर पदोन्नति के लिए रियायत एवं आरक्षण के संबंध में श्री एन.एल. मीणा वैज्ञानिक सहायक (डी), हेवी वाटर प्लांट, परमाणु ऊर्जा विभाग, रावतभाटा, कोटा, राजस्थान का अभ्यावेदन।

पृष्ठभूमि

परमाण ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ तथा पदोन्नति देने के संबंध में दिनांक 31.01.2008 को आयोग में हुई बैठक में श्री एन.एल. मीणा के प्रकरण पर हुई चर्चा पर की गयी कार्यवाही संबंधित परमाणु ऊर्जा विभाग अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, रावतभाटा (राजस्थान) ने आयोग को अभ्यावेदन भेजते हुए कहा कि विभाग द्वारा मामले में कार्रवाई नही की गयी है। आयोग द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को अनुस्मरण पत्र दिनांक 28.03.2008 भेजा गया। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा आयोग में दिनांक 31.01.2008 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के प्रत्युत्तर में पत्र दिनांक 07.04.2008 द्वारा अवगत कराया कि श्री एन.एल. मीणा ने वैज्ञानिक अधिकारी / सी ग्रेड पर पदोन्नति हेतु एएमआईई परीक्षा में निर्धारित 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किया है इसलिए उनको उक्त ग्रेड के लिए पदोन्नत नहीं किया जा सकता। परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह भी अवगत कराया कि पदोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में छूट / रियायत के बारे में संबंधित नोडल मंत्रालय का कोई विशिष्ट आदेश नहीं

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

है। मामले में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा ने सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग को दिनांक 05.01.2012 को चर्चा के लिए बुलाया। तदनुसार प्रकरण में हुई चर्चा अनुसार आयोग द्वारा परमाण ऊर्जा विभाग को पत्र दिनांक 02.03.2012 आरक्षण नीतियों के पालन हेतु लिखा गया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने आयोग में दिनांक 26.07.2012 को नियत सुनवाई के संदर्भ में पत्र दिनांक 25.07.2012 द्वारा विभाग की नीतियों पर पुनर्विचार करते हुए अवगत कराया कि वैज्ञानिक मैनपावर की योग्यता का स्तर बनाये रखने के लिए फरवरी, 2003 से एमएससी, एएमआईई जैसी उच्च योग्यता परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित है। कुछ कर्मचारियों, जिनमें श्री एन. एल.मीणा भी शामिल है, ने उपरोक्त डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये है अनुरोध किया है कि 2003 से पहले उच्च योग्यता प्राप्ति के आधार पर उनको विशेष छूट के तौर पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाए। उनके निवेदन पर विभाग में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि वे कर्मचारी जो फरवरी, 2003 से पूर्व अतिरिक्त योग्यता जारी रखने की अनुमति प्राप्त थे एवं उन्होंने दिसम्बर, 2008 तक आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली है, उन्हें विभागीय अर्हता परीक्षा में शामिल होने और पदोन्नति के लिए अन्य प्रक्रियाओं में एकल समय मापन के रूप में अनुमति दी जाए। तदनुसार श्री मीणा को विभागीय अर्हता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गयी जो कि अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने पर उच्च ग्रेड के लिए पदोन्नति हेतु प्रक्रियाओं में एक है। परन्तु श्री मीणा उक्त कथित परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहे। इस प्रकार विभाग ने पहले ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों द्वारा किए गए निवेदन के अनुसार एक अवसर के लिए रियायत दे दी है। प्रकरण की गंभीरता एवं स्पष्टीकरण को संज्ञान में रखते हुए आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा ने सचिव, परमाण ऊर्जा विभाग को दिनांक 14.08.2012 को पुनः आयोग में बुलाया।

चर्चा

परमाण ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव श्री ए.पी. जोशी तथा श्री के.ए.पी. सिन्हा, संयुक्त सचिव दिनांक 14.08.2012 को आयोग में चर्चा के लिए आए। परमाण ऊर्जा विभाग में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी श्री एन.एल. मीणा, वैज्ञानिक सहायक को पदोन्नति देने के संबंध में आयोग के माननीय सदस्य, श्री भैरू लाल मीणा के समक्ष चर्चा की गयी। विशेष सचिव, परमाण ऊर्जा विभाग ने आयोग को जानकारी दी कि परमाणु ऊर्जा विभाग में आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है तथा सभी पात्र अभ्यार्थियों/कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाता है। आयोग ने कहा कि श्री एन.एल.मीणा को दिनांक 31.01. 2008 को पूर्व आयोग में हुई चर्चा– **"आयोग सिफारिश करता है कि पदोन्नतियों में अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मानक तथा उनकी उचित योग्यता व एएमआईई परीक्षा के आधार पर श्री एन.एल. मीणा को पदोन्नत करने के लिए परमाण ऊर्जा विभाग द्वारा विचार किया जाए"** अनुसार न्यूनतम योग्यता मानक को कम करते हुए पदोन्नति का लाभ दिया जाए। इस संबंध में अभ्यावेदक श्री एन.एल. मीणा ने आयोग को अवगत कराया है कि विभाग में उनसे भी कम योग्यता वाले (केवल डिप्लोमाधारी) 6 वैज्ञानिक सहायकों को वर्ष 2003, 2006 एवं 2007 में वैज्ञानिक अधिकारी पर पदोन्नति दी गयी थी जबकि उनके पास डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग डिग्री भी है फिर भी विभाग द्वारा पदोन्नति नहीं दी जा रही है।

10/10/2012

भैरू लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

विशेष सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग ने जानकारी दी कि श्री मीणा की पदोन्नति का प्रकरण नियमित पदोन्नति आधार पर न होकर फास्ट ट्रैक पदोन्नति आधार पर है तथा फास्ट ट्रैक प्रावधान नीति में विभाग की नीति अनुसार आरक्षणं/रियायत को आधार नहीं रखा गया है। विशेष सचिव ने स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा फास्ट ट्रैक पदोन्नति में आरक्षण/रियायत संबंधी सुविधा नहीं दी गयी। विशेष सचिव ने आयोग को विनिर्दिष्ट किया कि श्री एन.एल. मीणा को पदोन्नति देने के लिए विशेष केस के तौर पर विचार करते हुए उनको फास्ट ट्रैक पदोन्नति परीक्षा में बैठने के लिए एक और अवसर प्रदान किया जा सकता है। आयोग ने विशेष सचिव से कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने उक्त पदोन्नति को फास्ट ट्रैक पदोन्नति परीक्षा के लिए अभ्यर्थता की प्रक्रिया के नियमों संबंधित ऐसी कोई जानकारी आयोग को पहले नहीं दी थी। अतः आयोग फास्ट ट्रैक पदोन्नति नियमों तथा उसमें आरक्षण के प्रावधानों की अग्रिम जांच कर मामले पर चर्चा करेगा।

10/10/2012

भैरु लाल मीणा / BHERU LAL MEENA
सदस्य / Member
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi